

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) वेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)  
प्रार्थना पत्र संख्या :- 54/2025 दिनांक 2/5/25

अनवान

~~ममता कुमारी हरिजन पुत्री जगदीश चन्द गेहल~~  
~~निवासी गाडोला लो निवासी~~ प्रार्थी/प्रार्थीगण

वनाम

~~शैली वन अधिकारी वेगूं वेगूं~~  
~~निवासी पीपली जेडा ल. वेगूं~~ विपक्षी/विपक्षीगण

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत बावत पत्थरगढी करने:

न्यायालय में अधिवक्ता श्री ~~A.S. 21/25~~ के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके बाद जाँच दर्ज किया जाकर प्रकरण में जाँच किये जाने पर पाया कि प्रार्थी/प्रार्थीगण वर्णित आराजीमत का खातेदार है तथा प्रार्थी द्वारा उनके खातेदारी की कृषि आराजी मौजा ~~पीपली जेडा~~ पटवार हल्का ~~जगदीश~~ की आराजी संख्या ..... 4, 5 ..... कुल कीता- 2 ..... कुल रकबा ..... 1.5.600 ..... कृषि भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया गया है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न की जाकर आपको आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा ~~पीपली जेडा~~ पटवार हल्का ~~जगदीश~~ की आराजी संख्या ..... 4, 5 ..... कुल कीता- 2 .....

कुल रकबा ..... 1.5.600 ..... भूमि की पत्थरगढी हेतु सूचना पत्र जारी कर प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण की उपस्थिती में प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क की राशि ~~2000/-~~ प्राप्त करते हुए मौके की पत्थरगढी की जावें।

संलग्न :- प्रार्थना पत्र  
कीता-

५५

उपखण्ड अधिकारी, वेगूं  
जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक / सरिश्ता / 2025/ 254

प्रार्थना पत्र संख्या 54/25 व अनवान ~~ममता कुमारी~~ प्रार्थना पत्र अध्या 128 एल.आर.एक्ट में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति आपको वास्ते पालनार्थ दी जाती है।

दिनांक :- 5/5/25

५५  
उपखण्ड अधिकारी, वेगूं  
जिला चित्तौड़गढ़(राज.)